दक्षिण अफ्रीका 159 पर ढेर

27 रन देकर बुमराह ने झटके 5 विकेट, स्टंप्स तक भारत 37/1 पर सुरक्षित

कोलकाता, 14 नवंबर. ईडन गार्डन्स की पिच पर शुक्रवार का पहला दिन जसप्रीत बुमराह के नाम रहा, जहां उनकी सटीक लाइन और लगातार दबाव ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी को सिर्फ 159 रन पर समेटकर भारत को पहले टेस्ट में शुरुआती बढ़त दिला दी.

बुमराह ने 27 रन पर पांच विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज़ी को भीतर तक हिला दिया, जबकि मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने उनका बखूबी साथ देकर मेहमान टीम को खड़े होने का मौका ही नहीं दिया. जवाब में भारत ने भी शुरुआत में यशस्वी जायसवाल का विकेट गंवाया, लेकिन केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने संयम और सजगता दिखाते हुए टीम को स्टंप्स तक एक विकेट पर 37 रन तक पहुंचाया. भारत अब दूसरे सुबह सिर्फ 122 रन पीछे है और पूरी तरह नियंत्रण में दिख रहा है. दिन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने के फैसले से हुई, जो शुरुआती कुछ ओवरों तक ठीक भी लग रहा था. एडन मार्करम और रायन रिकल्टन ने संभलकर शुरुआत की, विकेट छोड़ने से बचते हुए गेंद को देर से खेला और भारतीय पेस अटैक की परीक्षा ली. दोनों बल्लेबाज़ों ने मिलकर नई गेंद की चमक को खत्म किया और पहले घंटे में भारतीय गेंदबाज़ों के धैर्य की परीक्षा में डाला.

रिकल्टन ने 23 रन बनाए और मार्करम ने 31 रन की शुरुआत दी, लेकिन उनकी मेहनत जसप्रीत बुमराह के लंबे और लगातार खतरनाक स्पैल के सामने टिक नहीं सकी. छठे ओवर में पहुंचते-पहुंचते बुमराह ने पहले रिकल्टन को आउट किया और कुछ ही अंतराल में मार्करम को भी पवेलियन भेज दिया. बुमराह की गेंदों में निपुणता दिखाई दी जिसका जवाब सबसे अनुभवी बल्लेबाज भी कई बार नहीं दे पाते. लंबाई पर नियंत्रण, लगातार ऑफ-स्टंप को छेड़ने वाली लाइन. दोनों सलामी बल्लेबाज़ों का विकेट गिरते ही अफ्रीका की शुरुआती धैर्यपूर्ण मेहनत ढहने लगी और भारतीय गेंदबाज़ों को लय मिल गई.

सूरीनाम ऐतिहासिक विश्व कप स्थान के करीब

मेक्सिको सिटी. रिचोनेल मार्गरेट के दो गोल की बदौलत सूरीनाम गुरुवार को अल सल्वाडोर को 4-0 से हराकर अपने पहले फीफा विश्व कप में जगह बनाने के बेहद करीब पहुंच गया. टजारोन चेरी ने पेनल्टी स्पॉट पर गोल दागा, जिसके बाद डच शीर्ष क्लब गो अहेड ईगल्स की स्ट्राइकर मार्गरेट ने तीन मिनट में दो गोल दागे. मिडफील्डर धोरासो क्लास ने लंबी दूरी से गोल करके गोलपोस्ट के ऊपरी दाएंकोने में गोल करके जीत को सुनिश्चित कर दिया.

एक नजर में

पसली में चोट के चलते रबाडा पहले टेस्ट से बाहर

कोलकाता. कगिसो रबाडा को मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के अभ्यास सत्र के दौरान चोट लगी थी जिसके चलते उन्हें कोलकाता में खेले जा रहे पहले टेस्ट से बाहर होना पड़ा. अगले सप्ताह गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए उनकी उपलब्धता पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. ईएसपीएनक्रिकइंफो को पता चला है कि जिस दिन रबाडा को चोट लगी थी उस दिन उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया. हालांकि उन्होंने बुधवार को अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया था लेकिन गुरुवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र में वह शामिल नहीं हुए थे. फाइनल बाद मैच के दिन की सुबह उनका फिटनेस टेस्ट भी हुआ लेकिन इस दौरान उन्हें असहज महसूस हुआ जिसके बाद उनके मैच से बाहर होने का फ़ैसला लिया गया.

भारत की तीरंदाजी में धमाकेदार सफलता

नईदिल्ली. एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय तीरंदाजों का प्रदर्शन गुरुवार को कंपाउंड वर्ग में ऐतिहासिक रहा, जब भारतीय दल ने पांच पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी धाक जमाई. बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जारी इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण और दो रजत पदक अपने नाम किए. विशेष रूप से महिला कंपाउंड तीरंदाजी में भारतीय तिकड़ी और व्यक्तिगत स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नम की चमक पूरे दिन बनी रही. भारत की स्टार तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने व्यक्तिगत और टीम दोनों वर्गों में स्वर्ण जीतकर अभियान की मजबूत शुरुआत की. पिछली बार 2023 में बैंकॉक में हुए संस्करण में व्यक्तिगत रजत जीतने वाली ज्योति इस बार और अधिक आत्मविश्वास के साथ उतरीं और फाइनल में 17 वर्षीय प्रतिभाशाली प्रीथिका प्रदीप को 147-145 से मात देकर स्वर्ण हासिल किया. फाइनल मुकाबले में ज्योति ने सटीकता और स्थिरता का शानदार संयोजन दिखाया, वहीं युवा प्रीथिका ने भी अपने प्रदर्शन से भविष्य के लिए उम्मीदें मजबूत कीं. दिन की शुरुआत ही भारत के लिए शानदार रही जब ज्योति, प्रीथिका और दीपिका की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रगान गूंजाया. भारतीय तिकड़ी ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया की मजबूत तिकड़ी—पार्क येरिन, ओ यूहुन और जंग्यून पार्क—को 236-234 से पराजित किया. मुकाबले के मध्य चरण में बढ़त बनाने के बाद भारतीय टीम ने दबाव झेलते हुए अंतिम दौर तक संयम बनाए रखा और मामूली अंतर से जीत पक्की की. यह प्रदर्शन साबित करता है कि महिला कंपाउंड आर्चरी में भारत दोनों ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर भी एक बड़ी ताकत बन चुका है. कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में भी भारत ने अपनी मजबूत पकड़ कायम रखी.

विश्व कप के लिए जूनियर पुरुष हॉकी टीम घोषित

नयी दिल्ली. हॉकी इंडिया ने बहुप्रतीक्षित एफआईएच पुरुष जूनियर विश्व कप तमिलनाडु 2025 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की शुक्रवार को घोषणा की। यह टूर्नामेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में आयोजित होगा। भारत के दिग्गज पूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश द्वारा प्रशिक्षित भारतीय टीम को पूल बी में चिली, स्विट्जरलैंड और ओमान के साथ रखा गया है, जो पाकिस्तान की जगह टीम में शामिल हुआ है। इंडिया कोल्ट्स की अगुवाई डिफेंडर और ड्रैगफ्लिकर रोहित करेंगे, जिन्होंने हाल ही में मलेशिया में हुए सुल्तान ऑफ जोहोर कप में अच्छा प्रदर्शन किया था, जहां टीम ने रजत पदक जीता था।

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

इंडियन बैंक, कालानी नगर शाखा: शॉप नंबर 2, ब्लॉक-ए सीता श्री रेसीडेंसी, एयरपोर्ट रोड, कालानी नगर, इंदौर (म.प्र.)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक **25.10.2025** को रजिस्टर्ड डाक द्वारा निम्नवर्णित ऋणी/जमानतदार को मांग सूचना पत्र भेजा गया:-

1. मेसर्स अमित इंटरप्राईजेस (प्रो. श्री भुवनेश्वर मिश्रा पिता जीवन मिश्रा), पता: 306-बी, न्यू लोहा मंडी, अलवा तोल कांटे के पीछे, देवास नाका, इंदौर (म.प्र.)- 452010 **अन्य पता:** बी-237, स्कीम नं. 78 भाग-1, न्यू लोहा मंडी, इंदौर-452010

2. श्री भुवनेश्वर मिश्रा पिता जीवन मिश्रा (ऋणी), पता: 942-ए, नरिमन सिटी, छोटा बांगड़दा, इंदौर (म.प्र.)-452005 पता: 56-सी, स्कीम 51, इंदौर, (मप्र)- 452006

3. श्रीमती उषा मिश्रा पति श्री भुवनेश्वर मिश्रा (सह-ऋणी), पता: 942-ए, नरिमन सिटी, छोटा बांगड.दा, इंदौर (म.प्र.)- 452005, **पता:** 56-सी, स्कीम 51, इंदौर, (मप्र)- 452006

जमानतदार: श्रीमती उषा मिश्रा पति भुवनेश्वर मिश्रा

विषय: इंडियन बैंक कालानी नगर शाखा में लोन खाता नंबर 6910028939, 6896286268 & 7130238923 का संदर्भ

आपने रुपये **2,38,64,468/- (रुपये दो करोड अडतीस लाख चौसठ हजार चार सौ अड़सठ मात्र) बकाया ऋण रुपये 2,31,62,687/- प्लस एमओआई 7,01,781) दिनांक** 23.10.2025 से सहमत दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की है। बैंक ने 23.10.2025 को अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर आपसे दिनांक 23.10.2025 को रुपये **2,38,64,468/- (रुपये दो करोड अडतीस लाख चौसठ हजार चार सौ अड़सठ मात्र) बकाया ऋण रुपये 2,31,62,687/- प्लस एमओआई 7,01,781)** की बकाया राशि चुकाने का अनुरोध किया। आपको पंजीकृत डाक से भेजा गया नोटिस बिना तामील किए वापस कर दिया गया है। इसकी एक प्रति प्लॉट नंबर 942 ब्लॉक-ए, नरिमन सिटी, ग्राम छोटा बांगड़दा, इंदौर (म.प्र.) पर चिपकाई गई है।

आपको रुपये **2,38,64,468/- (रुपये दो करोड अडतीस लाख चौसठ हजार चार सौ अड़सठ मात्र) बकाया ऋण रुपये 2,31,62,687/- प्लस एमओआई 7,01,781) दिनांक** 23.10.2025 से सहमत दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था। ऐसा न करने पर बैंक बाध्य होगा यहां नीचे दी गई अनुसूची में दी गई सुरक्षित संपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षा हित को लागू करने के अधिकारों का प्रयोग करें। यह नोटिस सुरक्षित ऋणदाता को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार/उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

ऋणकर्ता/सहऋणी/जमानतदार/संपत्ति स्वामी का ध्यान आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति-हित-का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

अनुसूची

प्लॉट नं. 942-ब्लॉक ए, नरिमन सिटी, छोटा बांगड़दा, इंदौर (म.प्र.)-452005 **संपत्ति स्वामी:** श्री भुवनेश्वर मिश्रा एवं श्रीमती उषा मिश्रा। **चर्तुःसीमाएं:** पूर्वः अन्य प्लॉट, पश्चिम:- रोड, उत्तर:- प्लॉट नंबर A-943, दक्षिण:- प्लॉट नंबर A-941

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन बैंक, कालानी नगर, इंदौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
सेन्ट्रल स्टोर्स विभाग

निविदा क्रमांक: स्टोर्स/14/2025-26 | **निविदा विज्ञप्ति** | **दिनांक: 13.11.2025**

नगर पालिक निगम, इन्दौर को लगने वाली निम्न सामग्री क्रय करने हेतु ऑनलाइन निविदा आयटम रेट पर आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है:-

अ. क्र.	ऑनलाइन टेंडर क्रमांक	सामग्री का विवरण	1) निविदा प्रपत्र की कीमत (₹) 2) अर्नेस्ट मनी की रकम (₹)	ऑनलाइन निविदा फॉर्म क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	ऑनलाइन तकनीकी निविदा ओपन करने की दिनांक एवं समय
1.	2025_UAD_462633_1	नगर निगम कर्मचारियों हेतु पॉकेट नेम प्लेट (नेम बैज)	1) ₹2000/- 2) ₹10000/-	28/11/2025 को शाम 6.00 बजे तक	1/12/2025 को सुबह 11.30 बजे पश्चात्

नोट:
1. निविदा ई-प्रोक्योरमेंट पद्धति से पोर्टल **http://www.mptenders.gov.in** पर देखी एवं क्रय की जा सकती है।
2. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर सीधे ऑनलाइन प्रकाशित किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

उपायुक्त
सेन्ट्रल स्टोर्स विभाग, नगर पालिक निगम, इन्दौर

CENTRUM Home Loans
Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट एवं रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नं. 801, सेन्ट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098,
CIN No. U65922MH2016PLC273826

कब्ज़ा नोटिस

(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8 (2) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उस पर संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि की राशि के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या / ऋणी/ सह-ऋणी का नाम	सुरक्षित संपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तारीख
1.	UDRNM24016567 / मुंशी शाह / सलमा बी शाह / रहीशा बी	सर्वेक्षण संख्या 508/2 मील, पीएच. संख्या 19, प्रवेश 0.06 हेक्टेयर, ग्राम-कचोली, तहसील एवं जिला-नीमच-458336, मध्य प्रदेश के अंतर्गत अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल. सीमाएँ- पूर्व- आम सड़क, पश्चिम- भेरूसिंह का खेत, उत्तर- नारायणसिंह का खेत, दक्षिण- नारायणसिंह का खेत. सर्वेक्षण संख्या 508/3 मील, पीएच. संख्या 19, प्रवेश 269 वर्ग फुट, ग्राम-कचोली, तहसील एवं जिला-नीमच-458336, मध्य प्रदेश के अंतर्गत अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल. सीमाएँ- पूर्व- कॉमन रोड, पश्चिम- क्रेता का प्लॉट, उत्तर- हरिसिंह का प्लॉट, दक्षिण- भीमसिंह का प्लॉट.	30-अगस्त-25 / रु.8,13,590/- (रु. आठ लाख तेरह हज़ार पाँच सौ नब्बे मात्र)	11-11-2025
2.	UDRNM23014168 /राजकुमार दमामि / मधुबाला मधुबाला	अधिकारों में, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा, मकान संख्या 431, वार्ड संख्या 06, पीएचएन 39, प्रवेश 3133 वर्ग फुट, आबादी भूमि पर स्थित, ग्राम-छायन, तहसील एवं जिला-नीमच-458441, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- रोड, पश्चिम- मकान मालिक बलवंत सिंह, उत्तर- मकान मालिक बेरूलाल, दक्षिण- मकान मालिक मनोहर सिंह.	30-अगस्त-25 / रु.8,35,401/- (रु. आठ लाख पैंतीस हजार चार सौ एक मात्र)	11-11-2025
3.	UDRNM23014444 / कमल सिंह चौहान / मांगीबाई चौहान	अधिकारों में, अचल संपत्ति का एक टुकड़ा, मकान संख्या 330, पीएचएन 39, प्रवेश 3098 वर्ग फुट, ग्राम-बेलाड़ी, जिला-नीमच-458441, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- कॉमन रोड, पश्चिम- भगतसिंह का मकान, उत्तर- श्याम सिंह का मकान, दक्षिण- हरिसिंह का मकान.	30-अगस्त-25 / रु.9,49,273/- (रु. नौ लाख उन्नचास हजार दो सौ तिहत्तर मात्र)	11-11-2025

दिनांक: 15-11-2025
स्थान: मध्यप्रदेश

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001/माहिर प्लाजा, 81, अपोजिट लोकेन्द्र टॉकीज, रतलाम, म.प्र.-457001 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	प्रतीकात्मक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री विष्णु गुप्ता श्रीमती तेजस्विनी गुप्ता सैंडविच पाइंट (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10692960)	20-5-2025 रु.1114800/- (रु. ग्यारह लाख चौदह हजार आठ सौ मात्र) बिड वृद्धि राशि रु.25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें शामिल हैं- प्लॉट संख्या E25, सिंगापुर मिड वे, ग्राम सोनवे, तहसील राऊ, धन्नाड, इंदौर, मध्य प्रदेश, 453332, संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, बिक्री योग्य_क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफल- 372.00, 372.00	3-9-2025 कुल बकाया राशि 7-11-2025 को रु. 1222575.51/- (रु. बारह लाख बाइस हजार पांच सौ पिचहत्तर और पैसा इक्यावन)	रु. 1042000/- (रु. दस लाख बयालीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 104200/- (रु. एक लाख चार हजार दो सौ मात्र)
श्री ओमप्रकाश पांडा श्रीमती भावना चौहान देव कंस्ट्रक्शन वर्क्स (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10405888)	16-5-2025 रु.1431376/- (रु. चौदह लाख इकतीस हजार तीन सौ छिहत्तर मात्र) बिड वृद्धि राशि रु.25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें शामिल हैं- प्लॉट संख्या 85, दक्षिण भाग भूमि, वार्ड संख्या 21, सर्वेक्षण संख्या 714/3, अमृत सागर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, तहसील एवं जिला रतलाम, मध्य प्रदेश-457001, संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्र, संपत्ति का क्षेत्रफल- 500.00, 556.00, 420.00।	19-8-2025 कुल बकाया राशि 7-11-2025 को रु. 1542877.57/- (रु. पन्द्रह लाख बयालीस हजार आठ सौ सतहत्तर और पैसा सत्तावन मात्र)	रु. 1800000/- (रु. अठ्ठारह लाख मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 180000/- (रु. एक लाख अस्सी हजार मात्र)
श्री दलावेश श्रीमती मीरा देवी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10090805)	27-6-2025 रु.944459/- (रु. नौ लाख चवालीस हजार चार सौ उनसठ मात्र) बिड वृद्धि राशि रु.25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें शामिल हैं- प्लॉट संख्या 30 का दक्षिणी भाग, मिड इंडिया टाउन, ग्राम मेठवाड़ा, ब्लॉक देपा, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 - भारत संपत्ति का प्रकार- भूमि_क्षेत्र, कारपेट_क्षेत्र, निर्मितक्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 450.00, 405.00, 450.00	17-9-2025 कुल बकाया राशि 7-11-2025 को रु. 1007043.23/- (रु. दस लाख सात हजार तिरतालीस और पैसा तेईस)	रु. 1080000/- (रु. दस लाख अस्सी हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 108000/- (रु. एक लाख आठ हजार मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
15 दिसम्बर 2025 11.00-14.00 बजे	17 दिसम्बर 2025 के 5.00 बजे तक	19 दिसम्बर 2025 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा.
नोट- प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं.
शेष भुगतान के लिए - https-//www.iiflonehome.com >मेरी बोली >शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 15/11/2025 | **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

AXIS FINANCE
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड
(CIN U65921MH1995PLC212675
एक्सिस हाउस, सी-2, वाडा इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025

संदर्भ संख्या: AFL/2024-2025/FEB/SHUBHAMDUBEY/448 — दिनांक: 29/10/2025

स्पीड पोस्ट/पंजीकृत विज्ञापन/बिना किसी पूर्वाग्रह के ई-मेल द्वारा

सेवा में

1.	श्री शुभम दुबे (उधारकर्ता/बंधककर्ता) 70, सिंगापुर ग्रीन व्यू प्रीमियम बीजू खेड़ी इंदौर, मध्य प्रदेश-453771 ईमेल: dubey 15000@gmail.com मोबाइल: 9755594488	2.	श्रीमती नीता दुबे (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) एस-70, सिंगापुर ग्रीन व्यू प्रीमियम, बीजू खेड़ी, इंदौर, मध्य प्रदेश-453771 ईमेल: dubey 15000@gmail.com मोबाइल: 8839569824

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (समय-समय पर संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अधोहस्ताक्षरी, एक्सिस फाइनेंस के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते लिमिटेड (जिसे आगे 'एएफएल/प्रतिभूत ऋणदाता' कहा जाएगा), कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित एक कंपनी और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्सिस हाउस में है. एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, भूतल, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'सरफेसी अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13 (2) के अंतर्गत निम्नानुसार यह सूचना देता है.

एएफएल ने अपने सामान्य व्यवसाय के क्रम में, उधारकर्ता के अनुरोध पर, सुरक्षित संपत्ति के विरुद्ध संपत्ति पर ऋण स्वीकृत किया है, जो कि फ्लैट संख्या S-70 सिंगापुर ग्रीन व्यू प्रीमियम, इंदौर, मध्य प्रदेश-453771 में निर्मित आवासीय भवन का एक अभिन्न अंग है, जिसका विवरण नीचे अनुसूची A के अंतर्गत दिया गया है. रुपये 24,24,915/- की राशि के लिए (रुपये चौबीस लाख चौबीस हजार नौ सौ पंद्रह मात्र) और रुपये 12,62,349 (रुपये बारह लाख बांसठ हजार तीन सौ उन्नचास मात्र) ('ऋण सुविधाएँ') इसमें उल्लिखित शर्तों और शर्तों पर.

1. इसके अनुसरण में, आप प्राप्तकर्ता(ओं) ने उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता(ओं) और बंधककर्ता के रूप में अपनी क्षमता में दिनांक 16 नवंबर 2022 और 28 दिसंबर 2022 ('सुविधा समझौते') के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर और निष्पादन किया है ताकि उपरोक्त सुविधा समझौते के तहत देय सभी राशियों के पुनर्भुगतान को सुरक्षित/गारंटी दी जा सके और परिणामस्वरूप, उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो गए हैं. आप प्राप्तकर्ता(ओं) ने सहमति व्यक्त की थी कि ऋण सुविधा को समान मासिक किश्तों में चुकाया जाएगा.
(ऋण सुविधा के लिए निष्पादित/जमा किए गए सुविधा और सुरक्षा दस्तावेज़ सुविधा समझौते को सामूहिक रूप से इस सूचना में आगे 'लेन-देन दस्तावेज़' कहा जाएगा)
2. यह कि उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत देय सभी राशियों के पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में, 28 दिसंबर 2022 को बंधककर्ता ने ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से, बंधक विलेख तैयार किया और भूमि/संपत्ति में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित का भार वहन किया, जिसका विशेष विवरण अनुसूची 'क' में दिया गया है. अनुसूची 'क' में उल्लिखित संपत्ति को आगे 'सुरक्षित संपत्ति' कहा जाएगा.
3. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ऋणी/बंधककर्ता, सह-ऋणी I ने सुविधा समझौतों के आधार पर अनुसूची 'क' में उल्लिखित संपत्तियों को गिरवी रखकर AFL से ऋण सुविधाएँ प्राप्त की हैं, और इस प्रकार AFL के पक्ष में सुरक्षित हित का सृजन किया है. अनुसूची 'क' में उल्लिखित प्रतिभूतियाँ SARFAESI अधिनियम की धारा 2 (1)(5C) के अर्थ में 'सुरक्षित संपत्ति' हैं.
4. आपके, प्राप्तकर्ता(ओं) के अनुरोध पर, AFL ने विभिन्न तिथियों पर उधारकर्ता को विशिष्ट निर्देशों के अनुसार ऋण सुविधाएँ वितरित की थीं, जैसा कि अनुसूची B में विस्तार से वर्णित है.
5. लेन-देन दस्तावेज़ों की शर्तों के अनुसार, आप, उधारकर्ता/बंधककर्ता और सह-ऋणकर्ता I को उक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत बकाया राशि चुकानी थी और इसके अतिरिक्त, आप, उधारकर्ता और सह-ऋणकर्ता(ओं) को सुविधा अनुबंध और बाद के संचार(ओं) में निर्धारित तरीके से संविदात्मक दरों पर उस पर ब्याज और अन्य शुल्क का भुगतान करना था.
6. हालांकि, आप, उधारकर्ता/बंधककर्ता, सह-ऋणकर्ता I, लेन-देन दस्तावेज़ों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे और सुविधा अनुबंध के तहत देय राशि का भुगतान करने में चूक गए. एएफएल ने विभिन्न चूक नोटिसों के माध्यम से आपको, प्राप्तकर्ता(ओं) को इस चूक की सूचना दी थी, तथापि, आज तक न तो इसमें सुधार किया गया है और न ही बकाया राशि चुकाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं.
7. इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चूंकि आप, प्राप्तकर्ता(ओं) ने लगातार चूक की है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, ऋणी का खाता 03/02/2025 से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ('एनपीए') बन गया है.
8. यहाँ यह बताना अनिवार्य है कि खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की उपरोक्त जानकारी एएफएल द्वारा आप, प्राप्तकर्ता(ओं) को एनपीए सूचना पत्रों के माध्यम से संप्रेषित की गई थी, जिस पर संदर्भ अंकित है. उक्त ऋण सुविधाओं के लिए दिनांक 06/02/2025 के क्रमांक AFL/NPA/CO/Feb-25/3523 और AFL/NPA/CO/Feb-25/3534 देखें.
9. SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सुरक्षित ऋणदाता को देय ऋण, सुरक्षित परिसंपत्ति के विरुद्ध सुरक्षित ऋण है और आप, ऋणी, बंधककर्ता और सह-ऋणी होने के नाते, लेन-देन दस्तावेजों के अनुसार ऐसे सुरक्षित ऋण/ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक कर चुके हैं.
10. 28 अक्टूबर 2025 तक, ऋणी/बंधककर्ता, सह-ऋणी I द्वारा सुरक्षित ऋणदाता को देय बकाया ऋण रुपए 36,96,932 (रुपए छत्तीस लाख छियानवे हजार नौ सौ बत्तीस मात्र) है, जैसा कि अनुसूची C में विशेष रूप से विस्तृत है.
11. उपरोक्त के मद्देनजर, सुरक्षित लेनदार वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अनुसार उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता को यह वैधानिक नोटिस जारी करने का हकदार हो गया है और इसके द्वारा आप सभी प्राप्तकर्ताओं से संयुक्त रूप से और अलग-अलग सुरक्षित लेनदार की ओर बकाया राशि/कुल रु. का पूर्ण भुगतान करने का आह्वान करता है, रु. 36,96,932 (रुपये छत्तीस लाख छियानवे हजार नौ सौ बत्तीस मात्र) 28 अक्टूबर 2025 तक देय, साथ में इस तिथि से पुनर्भुगतान की तिथि तक ऋण सुविधा के संबंध में संविदात्मक दरों पर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, चूक ब्याज, प्रीमियम, लागत, शुल्क आदि, SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत जारी इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों (साठ दिन) के भीतर, जिसमें विफल होने पर, सुरक्षित ऋणदाता को उक्त SARFAESI अधिनियम के तहत आपके आगे किसी संदर्भ के बिना सुरक्षा हित के प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाएगा और लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से आपके जोखिम पर.
12. इस तिथि से 60 दिनों की समाप्ति पर और आपकी मांग का पालन न करने पर, सुरक्षित ऋणदाता SARFAESI अधिनियम के तहत निम्नलिखित उपाय करेगा:-
क. अनुसूची 'क' में उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्ज़ा लेना, जिसमें पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार शामिल है, ताकि उसे प्राप्त किया जा सके.
ख. धारा 13 (4)(ख) और धारा 15 के प्रावधान में निर्धारित शर्तों के अधीन, सुरक्षित परिसंपत्ति की प्राप्ति के लिए पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित, आपके, प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ताओं के व्यवसाय का प्रबंधन अपने हाथ में लेना.
ग. सुरक्षित संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करें, जिसका कब्जा एएफएल द्वारा लिया जाएगा.
घ. किसी भी व्यक्ति, जिसने आपसे, प्राप्तकर्ता(ओं) से कोई भी सुरक्षित संपत्ति अर्जित की है और जिससे आपको, प्राप्तकर्ता(ओं) को कोई धनराशि देय है या देय हो सकती है, को लिखित सूचना द्वारा किसी भी समय AFL को उतनी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जितनी सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो.
13. आपका ध्यान SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (8) की ओर भी आकर्षित करता हूँ, जिसके तहत आपको सार्वजनिक नीलामी के लिए सूचना के प्रकाशन या पट्टे, समनुदेशन या सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक या निजी संधि से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने की तिथि से पहले किसी भी समय सुरक्षित ऋणदाता को उपरोक्त देय राशि, सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों सहित उधार देने का अवसर प्राप्त है.
14. आप सभी को सूचित और सावधान किया जाता है कि SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (13) के प्रावधानों के अनुसार, सुरक्षित संपत्ति (नीचे अनुसूची A में निर्धारित) का बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी भी प्रकार से पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, सुरक्षित लेनदार का. कृपया ध्यान दें कि नियमों के साथ उक्त SARFAESI अधिनियम में निहित प्रावधानों का कोई भी गैर-अनुपालन/उलंघन, SARFAESI अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.
15. कृपया यह भी ध्यान दें कि यह वैधानिक सूचना सुरक्षित लेनदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी की जाती है, जिसमें किसी भी अन्य कानूनी कार्यवाही/कानूनी कार्रवाई शुरू करना शामिल है, जो किसी भी कानून के प्रावधानों के तहत उपयुक्त और आवश्यक समझी जाए. वर्तमान में लागू और/या अनुबंध के अनुसार या दोनों.
16. मैं एतद् द्वारा संबंधित लेन-देन दस्तावेजों और किसी भी अन्य संबद्ध दस्तावेजों के तहत, कानून के तहत या अन्यथा, सभी अधिकारों को स्पष्ट रूप से सुरक्षित रखता/रखती हूँ. इस सूचना में निहित कोई भी बात या हमारी कोई भी कार्रवाई या निष्क्रियता संबंधित लेन-देन के तहत हमारे किसी भी वर्तमान या भविष्य के अधिकारों या उपायों का त्याग नहीं करेगी, या उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या उन्हें कम नहीं करेगी या अन्यथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी. कानून के तहत या सामान्य रूप से हमारे कोई भी अधिकार या उपाय, जो पूर्ण रूप से लागू रहेंगे और जारी रहेंगे.
17. अधोहस्ताक्षरी को यह सूचना जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में विधिवत अधिकृत किया गया है और नियमों के साथ पठित SARFAESI अधिनियम के तहत सुरक्षित ऋणदाता की ओर से शक्तियों का प्रयोग करें.
18. आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सूचना की प्राप्ति की सूचना दें. इस सूचना की एक प्रति भविष्य में संदर्भ के लिए हमारे कार्यालय में रखी जा रही है.

भवदीय,
प्राधिकृत अधिकारी
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

अनुसूची 'क' में
सुरक्षित संपत्ति का विवरण

आवासीय भवन का वह भाग जिसका क्रमांक S-70 है, प्लॉट संख्या S-70 पर निर्मित, 1500 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला, सिंगापुर ग्रीन व्यू प्रीमियम में, सर्वेक्षण क्रमांक 1000/- वाले भूमि के एक व्यपवर्तित भाग पर स्थित है. 94/2, 100/2, 100/3/2, 100/3/1, 91/1, 105/1/1, 106/1, 105/2, 106/2, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 93/1, 93/2, 100/1श, 85, 86, 90, 103/2, 104/2, 97/2/2/2, 98/2/2, 97/1, 98/1/2/1, 97/2/1k, 97/2/2/1, बीजूखेड़ी गाँव, तहसील सांवेर, इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी सीमाएँ हैं:

उत्तर- प्लॉट संख्या S-71 | दक्षिण- प्लॉट संख्या S-69
पूर्व- प्लॉट संख्या a 5-63 | पश्चिम- कॉलोनी रोड

अनुसूची B
वितरण का विवरण

16.11.2022 के सुविधा अनुबंध के अनुसार LAN 0456AHA00004302	सुविधा अनुबंध दिनांक 28.12.20222 के अनुसार LAN 0456MMA00007471 के लिए
CERSAI के लिए रु. 118/-	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए रु. 12,349/-
मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के लिए रु. 23,721/-	कोटक ऋण खाता संख्या शुभम दुबे KKBK0005941 के लिए रु. 12,34,987/-
TATA के लिए रु. 1,194/-	प्रसंस्करण शुल्क के लिए रु. 15,013/-
BPI के लिए रु. 3,322/-	
प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रु. 22,713/-	
आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए रु. 23,01,289/- आवास ऋण खाता संख्या 09210101924	
आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए रु. 72,558/- आवास ऋण खाता संख्या 09210101925	

अनुसूची C
28/10/2025 तक बकाया राशि का विवरण

(राशि रुपये में)

सुविधा	ऋण खाता संख्या	स्वीकृत मूल सीमा	मूलधन	अनुप्रयुक्त ब्याज	दंड और अन्य शुल्क	कुल बकाया
आवास ऋण	0456AHA00004302	2424915	2362538	88073	14412	2465023
संपत्ति पर ऋण	0466MMA00007471	1262349	1182976	35302	13631	1231901
कुल						**3737516**

नोट:- लागू ब्याज दर पर ब्याज सुविधा अनुबंध में परिभाषित अनुसार.